प्रेस नोट
दिनांक 18.02.2024, थाना नवाबगंज,
जनपद गोण्डा।

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा पुलिस भर्ती परीक्षा में अन्तर्जनपदीय सॉल्वर सहित 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद स्विफ्ट डिजायर कार, 03 अदद मोबाइल फोन, कूटरचित दस्तावेज व 5,000 रू0 नगद बरामद–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी गोण्डा श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री सौरभ वर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा पुलिस भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी कर अपने स्थान पर सॉल्वर से पेपर दिलाने के आरोप में सॉल्वर/अभ्यर्थी सहित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 17.02.2024 को आवेदक डा0 श्री कृष्ण कुमार सिंह स्व0 देवनन्दन सिंह (प्रधानाचार्य) गांधी इण्टर कालेज नवाबगंज द्वारा थाना नवाबगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि उ0प्र0 पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदो पर सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा द्वितीय पाली 15:00 बजे से 17:00 बजे की परीक्षा में गांधी इण्टर कालेज नवाबगंज गोण्डा के कक्षा सं–16 में परीक्षार्थी तन्मय सिंह पुत्र शिवरतन सिंह निवासी ग्राम बनकसिया, थाना मनकापुर जनपद गोण्डा को परीक्षा में सम्मिलित होना था, लेकिन तन्मय सिंह द्वारा धोखाधड़ी व कूटरचना कर आपराधिक षडयन्त्र कर अपने स्थान पर दूसरे अज्ञात लडके को तन्मय सिंह बनाकर परीक्षा में सम्मिलित कराया। वादी की तहरीर पर थाना नवाबगंज में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा विवेचना उ0नि0 मनीष कुमार को सुपुर्द की गयी थी। आज दिनांक 18.02.2023 को थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा कड़ी मेहनत एवं अथक प्रयोपरांत विवेचना के दौरान प्रकाश में आये 03 आरोपी अभियुक्तों–01. तन्मय सिंह, 02. हरिन्द कुमार, 03. कुन्दन कुमार को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 अदद स्विफ्ट डिजायर कार, 03 अदद मोबाइल फोन, कूटरचित दस्तावेज व 5,000 रू0 नगद बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ का विवरण–

पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि अभ्यार्थी तन्मय सिंह व हरिन्द कुमार द्वारा पुलिस भर्ती परीक्षा में बिहार राज्य के रहने वाले सॉल्वर कुन्दन कुमार को 06–06 लाख रूपये में अपने–अपने स्थान पर पेपर देने हेतु बुलाया गया था। दिनांक 17.02.2024 को गांधी इण्टर कालेज नवाबगंज में पुलिस भर्ती की द्वितीय पाली की परीक्षा में कुन्दन सिंह अभ्यर्थी तन्मय सिंह की जगह पेपर देने हेतु गया था तथा आज दिनांक 18.02.2024 को कुन्दन सिंह को अभ्यर्थी हरिन्द कुमार की जगह पेपर देने जाना था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. तन्मय सिंह पुत्र महेश्वरी दत्त सिंह निवासी ग्राम बनकसिया शिवरतन सिंह थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।
02. हरिन्द कुमार पुत्र अम्बिका प्रसाद निवासी रामगढवा दुल्हापुर बनकट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
03. कुन्दन कुमार पुत्र उमेश चौधरी निवासी ग्राम बेलसर पो0 नैली थाना नूर सराय जनपद नालंदा राज्य बिहार

गिरफ्तारी का स्थान–

किशुनदासपुर रेलवे क्रासिंग से कोल्हमपुर जाने वाले मार्ग से।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–55/2024, धारा 419,420,120बी,467,468,471 व 34 भा0द0वि0 व 6 उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम 1998 थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 मनीष कुमार।
02. उ0नि0 उमाशंकर।
03. हे0का0 रामशरण यादव।
04. का0 सुरन्द्र ओझा।

मीडिया सेल, गोण्डा।